कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी सर्वश्री सुनील कुमार भूटानी, बी / 307, विकास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

प्रार्थना पत्र संख्या व 051 / 14, 20.10.2014

दिनांक

प्रार्थी की ओर से श्री सिद्धार्थ कोहली, विद्वान अधिवक्ता एवं श्री सुनील कुमार भूटानी।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री सुनील कुमार भूटानी, बी / 307, विकास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.10.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा pest control operations के अन्तर्गत कार्य संविदा में प्रयुक्त वस्तुएं Chemicals एवं Insecticides को consumable मानते हुए उसके हस्तान्तरण / बिक्री होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

- A. Chemical एवं Insecticides के pest control operation के अन्तर्गत consume होने पर भी करयोग्य विक्रय धन का भाग है, तथा इस पर कर दायित्व होने की स्थिति में कर की दर के सम्बन्ध में।
- B. उक्त कार्य हेतु प्रार्थी को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के दायित्व की स्थिति।
- 2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सिद्धार्थ कोहली, विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार भूटानी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि pest control से सम्बन्धित कार्य में प्रयुक्त होने वाले मैटिरियल, Chemicals एवं Insecticides संविदा के निष्पादन में consume हो जाने के कारण दूसरे पक्ष अर्थात संविदी को हस्तान्तरित / बिक्री नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी का उक्त कार्य dealer की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपने कथन के समर्थन में M/s Pest Control India Ltd., Faizabad Road, Lucknow के मामले का उद्धरण देते हुए उक्त कार्य में किसी माल के विक्रय / हस्तान्तरण न होने के कारण अन्तर्ग्रस्त माल को करयोग्य टर्नओवर का भाग नहीं माना गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में pest control के कार्य में अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं यथा-Chemicals एवं Insecticides से सम्बन्धित माल की बिक्री पर करदेयता के निर्धारण / विनिश्चय का अनुरोध किया गया है।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Chemicals एवं Insecticides का अन्तरण / बिक्री कार्य संविदा में अर्न्तग्रस्त होने के कारण करयोग्य टर्नओवर का भाग है तथा इसकी बिक्री पर तदनुसार करदेयता का निर्धारण किया जायेगा । यह भी कहा गया कि प्रश्नगत माल का अन्तरण Resultant Product में अन्तर्निहित होता है, जहाँ तक उक्त वस्तुओं पर कर की दर का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अन्तरित होने वाली वस्तु Chemicals उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29, तथा Insecticides अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 से आच्छादित होने के कारण इन वस्तुओं पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए, तथा तदनुसार प्रार्थी का पंजीयन का

दायित्व भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी द्वारा किया गया कार्य निर्विवाद रूप से वर्क कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कार्य संविदा में प्रयुक्त वस्तुएं यथा-Chemicals एवं Insecticides को consumable मानते हुए कार्य संविदा में अन्तर्ग्रस्त होते हुए भी उनके हस्तान्तरण / बिक्री पर करदेयता का विनिश्चय किये जाने के सम्बन्ध में स्थित की विवेचना निम्नवत की जा रही है:-

भारतीय संविधान के 46वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप अनुच्छेद-366 के अन्तर्गत क्लाज-29A को जोड़े जाने के क्रम में बिक्री की संशोधित परिभाषा में किये गये प्राविधान के समरूप उत्तर प्रदेश मूल्य संविधित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) (ii) के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में कार्य संविदा में अन्तर्गस्त वस्तुओं की डीम्ड बिक्री मानते हुए निम्न प्राविधान किये गये :-

"a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract; works contract "

उक्त के अनुरूप उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2h (vii) में dealer के सम्बन्ध में किये गये निम्न प्राविधान का भी उल्लेख किया जा रहा है :-

'' any person who carries on the business of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract; '' বাধা

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम-9 (1) के अन्तर्गत करयोग्य टर्नओवर के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है :-

Subject to other provisions of these rules, the tax on turnover of sale of goods where such sale is affected by way of transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract shall be computed on the taxable turnover of sale of taxable goods. For the purposes of determining the taxable turnover of sale of such goods, the amounts specified below shall be deducted if included in the gross amount received or receivable in respect of the works contract:-

- (a) all amounts representing the value of goods consumed in execution of the works contract; in which property in goods is not transferred in the execution of the works contract;
- (b) all amounts representing the value of exempt goods and amount of profit thereon;
- (c) all amounts representing the rent paid or payable in respect of machinery and other equipments taken on hire for use in the execution of such works contract;
- (d) all amounts representing the value of service and labour and profit thereon;

- (e) all amounts representing the value of goods in which property has been transferred in the execution of the works contract as a result of sale in the course of inter-state trade or commerce;
- (f) all amounts representing the value of goods in which property has been transferred in the execution of the works contract as a result of sale in the course of export of goods out of the territory of India or sale in the course of import of goods into the territory of India;
- (g) all amounts representing the value of goods in which property has been transferred as a result of a sale outside the State;
- (h) all amounts representing the value of non-VAT goods purchased from within the State in the circumstances in which the dealer executing the works contact himself is liable to pay tax on turnover of purchase of such goods;
- (i) all amounts representing value of non VAT goods where such goods are purchased by the dealer from a registered dealer;
- (j) the amount representing the cost of establishment and other similar expenses of the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services, and profit thereon;
- (k) amount paid to sub-contractor for the execution of works contract on furnishing certificate obtained from the assessing authority of sub-contractor certifying that,-
 - (i) the sub-contractor is registered dealer under the Act;
 - (ii) the sub-contractor has disclosed turnover in the relevant return of tax period and has paid tax according to the provisions of the Act;
- (l) proportionate amount of actual cost of land required to be used in the construction of building, by the builder contractor where cost of such land is included in the amount received or receivable from the purchaser;

तथा works contract के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (au) में निम्न प्राविधान किया गया है :-

"works contract" includes any agreement for carrying out, for cash, deferred payment or other valuable consideration, the building construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any movable or immovable property.

उक्त प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किये जाने पर यह पाया गया कि किमश्नर आफ सेल्स टैक्स बनाम मातुश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपना यह स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि कार्य संविदा के निष्पादन में माल का अन्तरण चाहे भौतिक रूप से हो या रासायिनक रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में भी हो works contract के अन्तर्गत उपरोक्तानुार बिक्री के प्राविधान से आच्छादित होते हैं। कार्य संविदा के अन्तर्गत माल की Deemed Sale की परिभाषा में समाहित '' Some other form '' का निहितार्थ यह है कि माल के प्रत्येक प्रकार का अन्तरण बिक्री है चाहे वह भौतिक अथवा रासायिनक किसी भी रूप में हो। इस मामले में डाई एवं कैमिकल के अन्तरण को कार्य संविदा में प्रयुक्त किये जाने के आधार पर करयोग्य विक्रय धन का भाग माना गया है तथा कैमिकल के consume हो जाने के फलस्वरूप माल के अन्तरण / बिक्री न होने के तर्क को अमान्य कर दिया गया है।

उक्त मत का समर्थन CTT U.P. Vs M/s Aristo Printers Pvt Ltd. Ghaziabad (2011) VLJ 6 के मामले में करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उक्त आशय का अभिमत दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में जाबवर्क पर लाटरी टिकट की प्रिन्टिंग के कार्य में व्यापारी द्वारा प्रयुक्त किये गये इंक एवं कैमिकल का अन्तरण उपभोक्ता को मानते हुए इसकी बिक्री पर करदेयता के निर्धारण को उचित माना गया। State of Tamilnadu Vs S.S.M. Processing Mills (2014) 25 VLJ 37 (Mad) में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने फैब्रिक्स पर ब्लीचिंग एवं डाइंग के कार्य में ब्लीचिंग में प्रयुक्त कैमिकल बह जाने के तर्क को नहीं माना तथा यह मत निर्धारित किया कि Chemical Processing के द्वारा यार्न ब्लीचिंग करने से स्पष्ट है कि इसमें transfer of property हुई है इसलिए कैमिकल के प्रयोग पर transfer of property मानते हुए कर आरोपित किये जाने का निर्णय दिया गया।

46वें संविधान संशोधन के बाद यह देखा जाना आवश्यक नहीं है कि किसी कार्य संविदा में Dominent Object क्या है? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वश्री एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड बनाम सी सी (एआईआर 2001 एस सी 862) में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट मत स्थिर किया है कि किसी अनुबन्ध में मुख्य वस्तु सर्विस है और उसमें वस्तुओं का ट्रान्सफर बहुत कम है तो भी ऐसी transfer of property को कार्य संविदा में अन्तर्ग्रस्त मानते हुए कर आरोपित किया जायगा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त का निश्चितिकरण अन्य मामले जैसे-भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम युनियन बैंक ऑफ इण्डिया में भी किया है।

जहाँ तक pest control के कार्य में प्रयुक्त Chemicals एवं Insecticides को consumable होने के आधार पर कर की देयता के विनिश्चय का जो प्रश्न उठाया गया है वह उक्त निर्णय में दिये गये Ratio के क्रम में माननीय केरल उच्च न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ के द्वारा निम्न दिये गये निर्णय से भी स्पष्ट किया जा रहा है:-

M/s Enviro Chemicals Vs State of Kerala ST Rev. Nos 30 & 69 of 2004 उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा याची के Chemical Treatment of Effluent Water के कार्य

को वर्क कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में मानते हुए Treatment Effluent (प्रवाह उपचार) में प्रयुक्त कैमिकल के अन्तरण / बिकी पर करदेयता का अभिनिर्धारण किया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय M/s Xerox Modicorp Ltd. Vs State Of Karnataka (2005) 142 STC 209 का उद्धरण लेते हुए अपने निर्णय को आधारित किया गया है तथा यह मत व्यक्त किया गया है कि कार्य के निष्पादन में कैमिकल एक वस्तु है जिसके ओनर प्रश्नगत मामले में प्रार्थी माने जायेंगे। pest control की प्रक्रिया में प्रार्थी द्वारा Chemicals एवं Insecticides प्रयुक्त किया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में यह माना गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य संविदा में माल के अन्तरण / बिक्री हेतु Resultant Product में प्रयुक्त माल का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है तथा इसी के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टोनर एवं डेवलपर्स के प्रयोग को कार्य संविदा में अन्तरित मानते हुए बिक्री पर करदेयता का अभिनिर्धारण किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में निम्न महत्वपुर्ण अभिमत व्यक्त किया है:-

"Property in the toner and developer passed the moment they are put into the Xerox machine. Now, they belonged to the customer. At this stage, they are tangible movables in which property can pass." उक्त के क्रम में निम्नलिखित निर्णय के अंश का उद्धरण प्रश्नगत प्रकरण में करदेयता को सिद्ध करने का महत्वपूर्ण आधार है:-

"The sale i.e. transfer of property takes place before the goods are consumed. The transfer takes place in respect of tangible goods. Just like petrol is consumed after sale or ink is consumed after sale, in this case also the toners and developers get consumed after sale. The property passes the moment they are put in the machine. At the stage, they are not consumed, but are tangible goods in which property can pass."

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने उक्त सन्दर्भित प्रकरण में M/s Associate Cement Company Limited Vs Commissioner Of Custom (2001 (4) SCC 593), BSNL And Another Vs Union OF India, Tata Consultancy Services Vs State Of Andhra Pradesh (2004) 137 STC 620, M/s Gannon Dunkerley And Co. Vs State Of Rajasthan And Others (1993) 1 SCC 364 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का समावेश करते हुए कैमिकल के हस्तान्तरण / बिक्री की विस्तृत विवेचना की गयी है । माननीय न्यायालय द्वारा अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों के सन्दर्भ के साथ-साथ प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टान्त M/s Pest Control India Ltd Vs Union Of India (1989) 75 STC 188 जो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित है, का भी सन्दर्भ लिया गया है । माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा केरल वैट अधिनियम में डीलर, बिक्री, माल, वर्क कान्ट्रैक्ट एवं करयोग्य टर्नओवर के सम्बन्ध में दिये गये प्राविधानों का विस्तृत परीक्षण करते हुए अपना मत स्थिर किया गया है । यहाँ उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि केरल वैट

अधिनियम के अन्तर्गत डीलर, बिक्री, माल, वर्क कान्ट्रैक्ट एवं करयोग्य टर्नओवर की दी गयी परिभाषा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किये गय प्राविधानों के समरूप होने के कारण माननीय न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से समान होने की दशा में सम्पूर्णता (Entirety) से लागू होने योग्य है।

माननीय न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय में उत्तर प्रदेश मल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-9 (1) (a) के अनुसार '' all amounts representing the value of goods consumed in execution of the works contract; in which property in goods is not transferred in the execution of the works contract; '' किये गये प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में निर्णय के निम्नलिखित अंश का उल्लेख किया जाना समीचीन है :-

"If a builder make use of water while mixing cement with other components as a building material, it would partake the characteristic of a raw material and it would become part of the structure itself. In other words, when water is so used, it can not be treated as a mere consumable as the water when employed as aforesaid, it is transferred to the awarder...........In other words, that if goods are used as raw-materials, then the mere fact that it is consumed, that would not detract from the transfer of goods being exigible to tax."

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में पेस्ट कन्ट्रोल सर्विसेज में प्रयुक्त Chemicals एवं Insecticides संविदी को हस्तान्तरण योग्य होने के कारण प्रयुक्त माल का अन्तरण बिक्री की श्रेणी में होने के कारण करदेयता की परिधि में माना जायगा।

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने समस्त न्याय दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए निम्न महत्वपूर्ण अभिमत दिया है:-

- "Even after the 46th amendment,sales tax cannot be levied merely because there is a works contract. There must be transfer of property in the form of goods or otherwise than in the form of goods. What is taxable is the transfer of property in goods. It does not matter whether the transfer of property takes place in the form of goods or in any other form."
- "That the chemical in question is goods, is beyond doubt. It cannot be disputed that the assessee was the owner of the goods in question, namely the chemical. It is obviously the intention of the parties that the assessee must use the chemical in the effluent treatment process. It is equally indisputable that the assessee has actually used it."
- "By using the chemical, the petitioner / assessee rendered the effluent compliant with the standards. It could probably be said that in the case of the toner and developers as the function is that of ink in printers, it shows up in the final product of the Xerox machines. But, the decision of the

Apex court is not based on there being any reqirement that the items which are used should exist in any form in the resultant product ."

माननीय न्यायालय ने '' quicquid plantatur, solo, solo credit '' के सिद्धान्त के आधार पर यह मत भी स्थापित किया कि जैसे ही माल के किसी प्रकार को कार्य संविदा में प्रयुक्त किया जाता है वह संविदाकार की न होकर संविदी को हस्तान्तरित हो जाती है। प्रश्नगत प्रकरण में भी विधि के उक्त Maxim के आधार पर Chemicals एवं Insecticides को कार्य संविदा (pest control services) में प्रयुक्त करते ही उसका अन्तरण संविदी को हो जाता है।

उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के निम्न अंश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय M/s Xerox Modicorp Ltd. Vs State Of Karnataka (2005) 142 STC 209 पर आधारित करते हुए कार्य संविदा में कैमिकल के अन्तरण को बिक्री माना गया है :-

"Just like the toner and developer having been put into xerox machine becoming the property of the customer in the case before the Apex Court in Xerox Modicorp Ltd case and the sale taking place before the goods are consumed, in the same way, the property in the chemical passed to the awarder the moment they are put into the effluent by the assessee and its susequent consumption after sale and it does not detract from the factum of sale and consequently the exigibility to tax become unquestionable."

उक्त समग्र रूप से विवेचित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में विचार किये जाने पर Pest Control Operation के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं Chemicals एवं Insecticides का अन्तरण / बिक्री कार्य संविदा में अर्न्तग्रस्त होने के कारण करयोग्य टर्नओवर का भाग है तथा इसकी बिक्री पर तदनुसार करदेयता का निर्धारण किया जायगा । जहाँ तक कर की दर का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अन्तरित होने वाली वस्तु Chemicals उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29 तथा Insecticides अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 में निम्न प्रकार से है:-

प्रविष्टि संख्या-29

Chemicals including caustic soda, caustic potash, soda ash, bleaching powder, sodium bicarbonate, sodium hydro sulphate, sulphate of alumina, sodium nitrate, sodium acetate, sodium sulphate; acid slurry, trisodium phosphate, sodium tripoly phosphate, sodium silicate, sodium meta silicate, carboxymethyle cellulose, sodium sulphide, acetic acid, sodium bisulphite, oxalic acid, sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium alginate, benzene citric acid, diethylene glycol, sodium nitrate, hydrogen peroxide, acetaldehyde, pentaerythritol, sodium alpha olefin, sulphonate, sodium formate, chemical components and mixture and all other chemicals not specified elsewhere in this schedule or any other schedule.

प्रविष्टि संख्या-20

Chemical fertilizers, except those which are described in entry no. 26 of the schedule-I; micro-nutrients and also plant growth promoters & regulators, herbicides, rodenticide, insecticide, weedicide and pesticides.

अतः Chemicals उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-29 तथा Insecticides अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-20 से आच्छादित होने के कारण इन वस्तुओं पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी, तथा तदनुसार प्रार्थी का पंजीयन का दियत्व भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार होगा।

- 5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
- 6. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 08 जनवरी, 2015

ਵ0 / 08.01.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।